[TO BE PUBLISHED IN PART IV OF DELHI GAZETTE EXTRA ORDINARY] GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI DIRECTORATE OF EDUCATION OLD SECRETARIAT: DELHI-110054

Dated the 24 0 2014

NOTIFICATION

No.F.23 (40)/DE/RTE/2012-13/ 772-83 exercise of the powers conferred by clause (h) of section 2 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (35 of 2009) and read with rule 27 of the Delhi Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2011, and with reference to clause (a) of the notification no. F. 23(2)/DE/RTE/2011-12/570-584 dated the 23rd April, 2013, the Lieutenant Governor of Delhi is pleased to notify each District Deputy Director of Education, Government of National Capital Territory of Delhi, Directorate of Education, as Local Authority for performing the functions as envisaged in section 32 of the said Act, in relation to the schools under the administrative control of the Government.

By Order and in the name of Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi

(Dr. Madhu Rani Teotia)(IAS)
Additional Secretary (Education)

Copy to:-

- 1. Pr. Secretary to Hon'ble Lt. Governor, Delhi.
- 2. Pr. Secretary to Hon'ble Chief Minister, Delhi.
- Secretary to Hon'ble Minister of Education, Govt. of NCT of Delhi.
- 4. OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi.
- 5. Secretary, MHRD, Govt. of India.
- 6. Secretary Education, Govt. of NCT of Delhi.
- Director, Education, Govt. of NCT of Delhi/Municipal Corporations of Delhi (East/North/South)/New Delhi Municipal Council/Chief Executive officer, Delhi Cantonment Board for taking necessary action on similar lines.
- 8. Director, Directorate of Information and Publicity, Govt. of NCT of Delhi.
- All Addl. Directors/RDs/JDs/DDEs/ADEs of Directorate of Education, Govt. of NCT of Delhi.
- All Branch In charges, Directorate of Education, Govt. of NCT of Delhi.
- 11. OS (IT) with the request to place it on the website of the Department.
- 12. Guard file.

(Dr. Madhu Rani Teotia)(IAS) Additional Secretary (Education)

(दिल्ली राजपत्र भाग-4 असाधारण में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार शिक्षा निदेशालय पुराना सचिवालय, दिल्ली—110054.

स0फ0.23(40)/डी0ई0/आरटीई/2012-13/772-83

दिनांकः 24 01 2014

अधिसूचना

स0फ0.23(40) / डी०ई० / आरटीई / 2012—13 / 772-83. — दिल्ली निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली, 2011 के नियम 27 के साथ पठित निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) की धारा 2 के खंड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 23 अप्रैल, 2013 की अधिसूचना संख्या स0फ0. 23(2) / डी०ई० / आरटीई / 2011—12 / 570—584 के खंड (क) के संदर्भ में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन विद्यालयों के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 32 में उल्लिखित कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिये प्रत्येक मंडल के उप—िनदेशक (शिक्षा), शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को स्थानीय प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर।

मध्य मेविमपा

(डॉ० मधु रानी तेवतिया, आईएएस) अतिरिक्त निदेशक (शिक्षा) दिनांकः

स0फ0.23(40) / डी०ई० / आरटीई / 2012—13 / प्रतिलिपि निम्न को :—

- प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली।
- 2. प्रधान सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, दिल्ली।
- सचिव, माननीय शिक्षा मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
- 4. विशेष कार्याधिकारी, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
- सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
- सचिव (शिक्षा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
- निदेशक (शिक्षा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार/दिल्ली नगर निगम (पूर्व/उत्तर/दक्षिण)/ नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दिल्ली छावनी बोर्ड को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
- समस्त अतिरिक्त निदेशक/क्षेत्रीय निदेशक/संयुक्त निदेशक/उप–निदेशक शिक्षा/सहायक निदेशक शिक्षा, शिक्षा निदेशालय।
- 10. समस्त शाखा प्रभारी, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
- 11. कार्यालय अधीक्षक (आईटी) को विभाग की वेबसाइट पर डालने के अनुरोध सहित।
- 12. गार्ड फाईल।

मपु तेवालपा

(डॉ० मधु रानी तेवतिया, आईएएस) अतिरिक्त निदेशक (शिक्षा)